

 <p>कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)</p>	 <p>क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार Regional Office, Bihar पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना - 800001 PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA - 800001 फोन: 0612-2533404 इ. मेल: rd-bihar@esic.nic.in वेबसाइट : www.esic.nic.in / www.esic.in</p>
---	--

पत्रांक:42-जेड-16/11-प्रशासन

दिनांक: 07-08-2025

कार्यालय ज्ञापन/ Office Memorandum

क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना ने मुख्यालय के उप चिकित्सा आयुक्त, (चिकित्सा सेवा) द्वारा प्रेषित ई-मेल दिनांक 31.07.2025 के आलोक में यह निर्देश दिया है कि संसदीय अथवा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित मामलों में उत्तर केवल क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से, ही मुख्यालय के संबंधित शाखा को प्रेषित किए जाएं।

The Regional Director, Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Patna, has directed, in light of the email dated 31.07.2025 sent by the Deputy Medical Commissioner (Medical Services), Headquarters, that responses related to parliamentary or other Very Important Persons (VIP) should be sent to the concerned branch at Headquarters only with the approval of the Regional Director.

मुख्यालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन के बिना प्रेषित मामलों पर मुख्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

It has been clearly directed by the Headquarters that any matter forwarded without the approval of the Regional Director will not be considered.

अतः, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना के अंतर्गत कार्यरत सभी अधिकारी /चिकित्सा अधिकारी/गैर-चिकित्सा अधिकारी/बीमा चिकित्सा अधिकारी/शाखा प्रबंधक को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें।

Therefore, all Medical Officers/Non-Medical Officers/Insurance Medical Officers/Branch Managers working under the Regional Office, Employees' State Insurance Corporation, Patna, are hereby directed to ensure strict compliance with the above instructions.

सहायक निदेशक (प्रशासन)
Assistant Director (Admin)

सेवा में/To,

1. सभी चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना।
2. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना।
3. सभी बीमा चिकित्सा अधिकारी, औषाधालय सह शाखा कार्यालय, बिहार क्षेत्र।
4. सभी शाखा प्रबंधक, औषाधालय सह शाखा कार्यालय/ शाखा कार्यालय, बिहार क्षेत्र।
5. क्षेत्रीय निदेशक महोदय के निजी सहायक को सूचनार्थ।

6. आइटी मैनेजर, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बचत निगम, पटना को निर्देश के साथ को उक्त को बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. गार्ड संक्षिप्त।
8. नोटिस बोर्ड।